Grams : ALINDIABAR, New Delhi
E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel. : (91) 011-4922 5000
Fax : (91) 011-4922 5011

सत्यमेव जयते

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)
21, Rouse Avenue Institutional Area, New Delhi - 110 002

BCI : D : 1039 /2015(Council)

STBC (Cir.) No. 7 /2015

11-3-2015

To,

Secretaries
of all the State Bar Councils

Sirs/Ma'am,

I am sending herewith a copy of Gazette notification relates to the enhancement of the subscription payable under rule-40 of the Bar Council of India notified in the Gazette of India vide Extra Ordinary Gazette Part-3, Section –IV, published on 2nd March,2015. This is for your information and compliance.

Yours Sincerely,

(J.R. Sharma)
Secretary

Encl: as above.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936
No. 71] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

23 अगस्त, 2014 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत के अंश

मद संख्या 268/2014 दिनांक 20.09.2014 के तहत संशोधित

मद संख्या 210/2014 और 249/2014.—"मद सं. 210/2014 और मद सं. 249/2014 साथ–साथ परिषद् द्वारा विचारित किये गये, जो कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के तहत देय चन्दा वृद्धि से संबंधित हैं। परिषद् ने माननीय सदस्य द्वारा मद सं. 84/2014 के क्रम में दिये निर्देश के अंतर्गत प्रस्तुत आख्या को विचारित किया, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पारित संकल्प को विचारित के समय, परिषद् ने बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा के सचिव से प्राप्त पत्र दिनांकित 01.08.2014 और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की अधिवक्ता कल्याण कोष समिति के संकल्प दिनांक 26.07.2014 हेतु उड़ीसा राज्य को भी विचारित किया।"

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् परिषद् ने संकल्प किया कि बढ़ती मुद्रास्फीती की दर और रिहायश लागत को देखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा चन्दा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के अंतर्गत, में वृद्धि करना आवश्यक है। परिषद् ने समिति के एक सदस्य के विचारों को भी स्वीकार किया कि ₹ 20,000/– राशि एक निजी अधिवक्ता द्वारा देय होनी चाहिए और ₹ 50,000/– राशि एक से अधिक अधिवक्ता के लिए देय होनी चाहिए तहत योजना के राज्य बार काउंसिल को आर्थिक सहायता हेतु और अंतर्गत बार कांउसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 44 (बी) क्रमानुसार ₹ 50,000/– और ₹ 1,00,000/– राशि में वृद्धि होगी। परिषद् ने निर्णय किया आजीवन भुगतान की राशि ₹ 1,000/– को ₹ 3,000/– किया जाये और 3 साल के लिए चन्दे की राशि ₹ 600/– को वृद्धि करके ₹ 1,800/– राशि की जाये।

परिषद् ने यह भी संकल्प किया कि बिलम्ब शुल्क की राशि ₹ 5/– प्रतिमाह को ₹ 100/– प्रतिमाह किया जाये और अधिकतम ₹ 600/– देय होंगे यदि अधिवक्ता उसे निर्धारित समय अवधि में चुकाने में असफल होता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 में प्रावधान है। तद्नुसार नियम 40, उपाबंध नियम 40, नियम 40 की व्याख्या–2 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है:–